	कार्यवाही
17-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादीगण 6 की तामील नहीं हुई। हाजा! तलबाना पेश करने पर जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15-10-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़
15-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 13-11-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़
13-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 3-12-19 को पेश हो।
3-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./ वादी की ओर से लिखित साक्ष्य वादी = शपथ-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24-12-19 को पेश हो।
28/01/20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप./ वादी पक्ष निर्णित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुदा होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 20/दावा/2016

तारीख दायरा 18.02.2016

उनवान

प्रेमबाई पुत्री देवलाल पत्नी श्री मांगीलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी हाल निवासी राजपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

—वादनी

बनाम

1. अमरलाल वल्द कन्हीराम जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
2. बीरमा वल्द चम्पालाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
3. मोरसिंह वल्द चम्पालाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
4. मूलचंन्द वल्द देवलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
5. गोराबाई पुत्री देवलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
6. कोयल बाई पुत्री देवलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
7. सरदारी बाई पुत्री ओंकार जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
8. शाखा प्रबन्धक झा. केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमि. शाखा मनोहरथाना
9. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शखा मनोहरथाना
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 88,89,91 राज.आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :— श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल अधिवक्ता वादी
एक पक्षीय (प्रतिवादी पक्ष)

निर्णय दिनांक 28.01.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने इस आशाय का वाद जर्ये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया है कि —

1. ग्राम गुवाडी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नई व पुरानी खतौनी संख्या 3 की खसरान क्रमशः 30 की 1.11 बीघा, 50 की 6.08 बीघा, 51 की 4.13 बीघा, 52 की 17.07 बीघा, 54 की 18.05 बीघा, 70 की 0.05 बीघा, 71 की 4.05 बीघा, 72 की 0.16 बीघा,73 की 1.13 बीघा, 75 की 1.15 बीघा, 76 की 1.11 बीघा, 73 की 0.05 बीघा, 80 की 4.02 बीघा, 81 की 0.04 बीघा, 82 की 0.03 बीघा, 84 की 2.06 बीघा, 85 की 0.08 बीघा, 86 की 0.11 बीघा, 156 की 1.15 बीघा, 159 की 6.05 बीघा, 185 की

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

1.08 बीघा, 242 की 0.03 बीघा, 275 की 1.11 बीघा, 314 की 5.00 बीघा, 315 की 3.04 बीघा कुल किता 25 की 85.14 बीघा आराजी शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 का 1/6 हिस्सा तथा मृतक देवलाल पुत्री ओंकार का 1/2 हिस्सा नामान्तकरण नं. 237 दिनांक 11.03.2011 से प्रतिवादीगण नं. 4 लगायत 6 एवं मृतका नन्दूबाई बेवा देवलाल का नामखाते दर्ज हुआ जिसमें नामान्तकरण नं. 261 दिनांक 20.02.2013 से मृतक बेवा नन्दूबाई का नाम खाते से कम किया गया है।

वाद कि मद नम्बर में वर्णितआराजी के सहखातेदार मृतक देवलाल पुत्र ओंकार की वादनी सुलभी पुत्री और वैध वारिस है और वादनी के अलावा प्रतिवादीगण नम्बर 4 मूलचन्द, 5–गोराबाई व 6– कोयल बाई मौजूद है तथा नन्दूबाई बेवा देवलाल फौत हो चुकी है। जिसका नामान्तकरण नं. 261 दिनांक 20.02.2013 से खाते से हटा दिया है। सहखातेदार मृतक देवलाल पुत्र औंकार का शजरा खानदान निम्न प्रकार है।

देवलाल पुत्र ओंकार (फौत)

मूलचन्द पुत्र (प्रति.–4)	गोराबाई पुत्री (प्रति.–5)	कोयल बाई पुत्री (प्रति.–6)	प्रेमबाई पुत्री (वादनी)	नन्दूबाई पत्नी (फौत)

वाद कि मद नम्बर में वर्णित आराजी के सहखातेदार देवलाल पुत्र ओंकार के देहान्त पश्चात विरासती फोती नामान्तकरण नम्बर 237 दिनांक 11.03.2011 प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 मूलचन्द, गोराबाई, कोयल बाई एवं नन्दूबाई के पक्ष में प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 ने मनमर्जी से अपने पक्ष में खुलवा लिया और वादनी सुलभी पुत्री होते हुए भी वादनी के पक्ष में उक्ता नामान्तकरण नं. 237 दिनांक 11.03.2011 नहीं खोला जो कि वादनी के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर, अमान्य है तथा मृतक देवलाल पुत्र ओंकार के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 4 लायगत 6 के साथ सम्भाग से खातेदार टिनेन्ट घोषित होने योग्य है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी की सहखातेदारा नन्दूबाई बेवा देवलाल का देहान्त हो चुका है जिसका विरासती फौती नामान्तकरण नम्बर 261 दिनांक 20.02.2013 से मृतक देवलाल के 1/4 हिस्से से नाम हटा दिया गया है। इस प्रकार अब मूलचन्द, गोराबाइ, कोयल बाई प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 के साथ ही वादनी का सम्भाग से 1/16, 1/16 प्रत्येक का अपना हिस्सा अनुसार मौजूदा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर वादनी 1/16 भाग आराजी की खातेदार टिनेन्ट घोषित होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

वाद कारण दिनांक 15.07.2015 को प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 से वादनी ने आराजी मुतनाजा में मृतक देवलाल पुत्र ओंकार के 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 के साथ आराजी मुतनाजा को खाते दर्ज करवाने की कहने पर उनके द्वारा अहमति व्यक्त करने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ। जिसमें मृतक देवलाल पुत्र औंकार के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 के साथ सम्भाग से 1/6 भाग आराजी पर वादनी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाना व नामा संख्या 237 को वादनी के खातेदारी अधिकारो पर बेसर घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी व नकल नामान्तकरण आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उक्त वाद में ग्राम गुवाडी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नई व पुरानी खतौनी संख्या 3 की खसरान क्रमशः 30 की 1.11 बीघा, 50 की 6.08 बीघा, 51 की 4.13 बीघा, 52 की 17.03 बीघा, 54 की 18.05 बीघा, 70 की 0.05 बीघा, 71 की 4.05 बीघा, 72 की 0.16 बीघा,73 की 1.13 बीघा, 75 की 1.15 बीघा, 76 की 1.11 बीघा, 73 की 0.05 बीघा, 80 की 4.02 बीघा, 81 की 0.04 बीघा, 82 की 0.03 बीघा, 84 की 2.06 बीघा, 85 की 0.08 बीघा, 86 की 0.11 बीघा, 156 की 1.15 बीघा, 159 की 6.05 बीघा, 185 की 1.08 बीघा, 242 की 0.03 बीघा, 275 की 1.11 बीघा, 314 की 5.00 बीघा, 315 की 3.04 बीघा कुल किता 25 की 85.14 बीघा आराजी शामलाती खाते में इन्द्राज दुरुस्त की जाकर मृतक देवलाल पुत्र ओंकार के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 के साथ सम्भाग से 1/16 भाग आराजी की वादनी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है और नामान्तकरण नम्बर 237 दिनांक 11.03.2011 को वादनी के खातेदारी अधिकारो पर बेअसर, अमान्य एवं शून्य घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर उक्तानुसार वादनी का नाम रेवन्यू रेकार्ड में दर्ज किया जावें । तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिग्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 20/दावा/2016 तारीख दायरा 18.02.2016

उनवान

प्रेमबाई उम्र .... पुत्री देवलाल पत्नी श्री मांगीलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

–वादनी

बनाम

1. अमरलाल वल्द कन्हीराम जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
2. बीरमा वल्द चम्पालाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
3. मोरसिंह वल्द चम्पालाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
4. मूलचंन्द वल्द चम्पालाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
5. गोराबाई पुत्री देवलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
6. कोयल बाई पुत्री देवलाल जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
7. सरदारी बाई पुत्री ओंकार जाति तंवर निवासी गुवाडी तहसील मनोहरथाना
8. शाखा प्रबन्धक झा. केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमि. शाखा मनोहरथाना
9. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शखा मनोहरथाना
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

– प्रतिवादीगण

वाद धारा 88,89,91 राज.आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुवाडी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नई व पुरानी खतौनी संख्या 3 की खसरान कमशः 30 की 1.11 बीघा, 50 की 6.08 बीघा, 51 की 4.13 बीघा, 52 की 17.03 बीघा, 54 की 18.05 बीघा, 70 की 0.05 बीघा, 71 की 4.05 बीघा, 72 की 0.16 बीघा,73 की 1.13 बीघा, 75 की 1.15 बीघा, 76 की 1.11 बीघा, 73 की 0.05 बीघा, 80 की 4.02 बीघा, 81 की 0.04 बीघा, 82 की 0.03 बीघा, 84 की 2.06 बीघा, 85 की 0.08 बीघा, 86

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

की 0.11 बीघा, 156 की 1.15 बीघा, 159 की 6.05 बीघा, 185 की 1.08 बीघा, 242 की 0.03 बीघा, 275 की 1.11 बीघा, 314 की 5.00 बीघा, 315 की 3.04 बीघा कुल किता 25 की 85.14 बीघा आराजी शामलाती खाते में इन्द्राज दुरूस्त की जाकर मृतक देवलाल पुत्र ओंकार के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 4 लगायत 6 के साथ सम्भाग से 1/16 भाग आराजी की वादनी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है और नामान्तकरण नम्बर 237 दिनांक 11.03.2011 को वादनी के खातेदारी अधिकारो पर बेअसर, अमान्य एवं शून्य घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर उक्तानुसार वादनी का नाम रेवन्यू रेकार्ड में दर्ज किया जावें । फर्द डिग्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 28.01.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner